तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/691/2005/अलवर** **सावित्री देवी बनाम मोहनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री माधवराज, अभिभाषक अपीलांट श्री तेजेन्द्र सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 **आदेश** **1–** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। **2–** अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट सावित्री देवी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 594 रकबा 16 बीधा 5 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 24–06–1976 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया, किंतु आवंटन के करीब 24 वर्ष 6 माह पश्चात् रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के यहां प्रस्तुत कर उक्त आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17–05–2001 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट्स ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–01–2005 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। **3–** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलांट सावित्री देवी का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24–06–1976 को किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चली आ रही है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की गई है। अपीलांट सावित्री देवी एक विधवा, वृद्ध तथा हरिजन महिला है तथा उसकी आय का स्त्रोत आवंटित भूमि ही है। अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी प्रकार का छलकपट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/691/2005/अलवर** **सावित्री देवी बनाम मोहनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं किया गया है तो अपीलीय न्यायालय ने आवंटन के 25 वर्षों बाद आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 किसी प्रकार के साक्ष्य से ये साबित नहीं कर पाये हैं कि वे आराजी मुतनाजा के रिकॉर्डेड खातेदार हों या उनके द्वारा इंद्राज दुरूस्ती बाबत कोई कार्यवाही की गई। अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त करना नियम विरूद्ध होने से अस्वीकार्य है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त भूमि का आवंटन धोखे से प्राप्त होना बताया है जो कि सरासर गलत कथन है। अपीलांट को जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं किया गया है बल्कि आराजी मुतनाजा जिसके हाल खसरा नंबर 594 में साबिक खसरा नंबर 224 है, सही तौर पर सिवायचक दर्ज होने के कारण तथा भूमि आवंटन की पात्रता रखने की स्थिति में सावित्री देवी को आवंटन किया गया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वर्ष 1976 में दर्ज हुयी किसी एफआईआर पर बिना इस तथ्य का स्वयं परीक्षण किये अपीलांट के आवंटन को कपटपूर्ण मान कर गंभीर त्रुटि की है, जबकि अपील में एफआईआर की प्रति भी पेश नहीं हुई थी। उक्त एफआईआर का बाद में नतीजा क्या रहा यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर(द्वितीय) ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) साबित नहीं होने पर तथा विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त होने की स्थिति में खारिज किया था, किंतु अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट को कपटपूर्ण तथा गलत तरीके से भूमि आवंटन का कोई ठोस कारण नहीं होते हुये भी उसके विधिवत आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त किया जावे। **4—** प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस भेजने उपरांत भी वे अपील कार्यवाही में मंडल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। प्रत्यर्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार द्वारा अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना जाहिर किया गया। **5—** अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। **6—** अपीलार्थी सावित्री देवी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24—06—1976 को उसे आराजी नंबर 594 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया था। कालांतर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/691/2005/अलवर** **सावित्री देवी बनाम मोहनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में आवंटी को खातेदारी भी प्रदान कर दी गई। प्रत्यर्थीगणों अपीलांट्स मोहन लाल व सोहन लाल पुत्रान नाथूराम द्वारा यह आवंटन नियम विरूद्ध होना तथा आवंटित भूमि हाल नंबर 594 में गत नंबर 224 मी. रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की भूमि भी शामिल करते हुये गलत रूप से इस भूमि को सिवायचक करने तथा साबिक नंबर उनके पिता नाथू की खातेदारी भूमि होना जाहिर कर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उनके द्वारा वर्ष 2001 में जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष चुनौती दी जाने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 17–05–2001 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा अपील दायर करने पर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अवलर ने अपने निर्णय दिनांक 04–01–2005 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलार्थी प्रत्यर्थी सावित्री का भूमि आवंटन निरस्त करते हुये पत्रावली उपखंड अधिकारी बानसूर को इस भूमि के संबंध में पुनः विधिवत आदेश परित करने तथा पात्र व्यक्ति को नियमानुसार भूमि आवंटन करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई। **7–** प्रकरण में श्री मोहन लाल व सोहन लाल का हस्तगत अपील में अपीलार्थी सावित्री के पक्ष में हुये भूमि आवंटन पर मुख्यतः दो आधारों पर उजर है। प्रथमतः यह कि पूर्व खसरा नंबर 224 मी. रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा उनके पिता नाथू की दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि थी, जिसे वक्त सेटलमेंट गलत रूप से कतिपय अन्य नंबर शामिल कर हाल नंबर 594 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा भूमि कायम कर इसे राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई, इसलिए इसमें से 4 बीघा का सावित्री को आवंटन नियम विरूद्ध है। इस परिपेक्ष्य में अभिलेख के अवलोकन अनुसार साबिक नंबर 224 मी. रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा नाथू पुत्र ओमकार की खातेदारी में दर्ज होना परिलक्षित होता है। सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल संवत् 2021 अनुसार साबिक नंबर 224 मी. रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के साथ–साथ साबिक नंबर 225 मी. , 231 मी. , 255 मी. व 285 मी. को भी शामिल कर हाल नंबर 594 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालयों में दोनों अपीलार्थियों ने साबिक नंबर 224 मी. में शेष रही 4 बीघा भूमि हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आवंटन कार्यवाही दिनांक 24–06–1976 के अवलोकन अनुसार आराजी नंबर 594 में सावित्री को ही नहीं, बल्कि तीन अन्य आवंटियों को भी भूमि आवंटित की गई है। अगर वे हाल नंबर 594 में अपनी खातेदारी भूमि भी गलत शामिल की जाना बताते हैं तो शेष तीनों आवंटनों पर उनकी आपत्ति क्यों नहीं है अथवा विशिष्टतः सावित्री देवी के आवंटन पर ही क्यों आपत्ति है, यह उन्होंने अधीनस्थ अपीलों में उल्लेखित नहीं किया है, जिसे कि हम एक विचारण योग्य बिंदु होना मानते हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/691/2005/अलवर** **सावित्री देवी बनाम मोहनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 24–06–1976 के भूमि आवंटन को वे इस आधार पर भी नियम विरूद्ध बताते हैं कि आवंटन की नियमानुसार उद्घोषणा जारी नहीं हुई, पटवारी की रिपोर्ट नहीं ली गई आदि। आवंटन कार्यवाही अनुसार उक्त दिवस पर सावित्री सहित कुल 12 व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुआ था, इसलिए अपीलांट्स की समस्त बाबत आपत्ति न होकर मात्र एक ही आवंटन पर आपत्ति होना अस्पष्ट स्थिति है। उनका यह पक्ष भी नहीं है कि एक ही आवंटन में उद्घोषणा, रिपोर्ट करने की प्रक्रिया नहीं की जाकर शेष में की गई थी। 8– प्रकरण में श्री मोहन लाल व सोहन लाल की आवंटन हेतु उपलब्ध बताई गई राजकीय भूमि में उनकी खातेदारी भूमि को भी गलत रूप से शामिल करना तथा इस आधार पर दिनांक 24–06–1976 का आवंटन नियम विरूद्ध व गलत होना मुख्य चुनौती आधार है। दूसरी ओर सावित्री देवी का पक्ष है कि उसे भूमिहीन गरीब महिला होने से कृषि हेतु सरकारी भूमि आवंटित हुई थी, जिस पर उसे प्रक्रियानुसार कब्जा पत्र दिया गया तथा समयोपरांत आवंटन नियमों की पालना करने पर उसे नियमानुसार खातेदारी भी दे दी गई। निश्चय ही प्रत्यर्थीगण अपीलांट्स के भूमि पर स्वामित्व अधिकार को नियम 14(4) के तहत दायर प्रार्थना पत्र में गुणावगुण पर तथा निर्णायक रूप से विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। अगर वे इसे अपनी भूमि होना जाहिर कर सेटलमेंट के दौरान रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना मानते हैं तो वे संपूर्ण वस्तुस्थिति के साथ सक्षम न्यायालय में घोषणा के नियमित दावे में अपना पक्ष रख सकते हैं। आवंटन प्रक्रिया में आराजी नंबर 594 में तीन आवंटन और भी किये गये हैं, अतः मात्र सलेक्टिव रूप से 4 बीघा के एक ही आवंटन को चुनौती देने से कोई सार्थकता नहीं होगी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उपखंड अधिकारी को प्रकरण में पुनः विधिवत आदेश करने तथा नियमानुसार भूमि आवंटन करने के रिमांड आदेश से उनका उजर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इस प्रकरण में न तो उन्हें घोषणा की रिलीफ दी जा सकती है और न ही भूमि आवंटन हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रावधानों के तहत उनकी यह तथ्यगत आधार स्थिति उन्हें आवंटन हेतु विधिवत रूप से योग्यता प्रदान करती है। प्रकरण में यह स्थिति भी नहीं है कि उनके द्वारा वक्त आवंटन भूमि सरकारी भूमि न होकर उनके अधिकार की होने संबंधी आपत्ति की गई हो, जिसे कि आवंटन सलाहकार समिति ने स्वीकार न किया हो। अतः समस्त विश्लेषण अनुसार हमारा सुविचारित मत है कि इस तथ्यपरक स्थिति में यह प्रकरण नियम 14(4) के तहत ठोस रूप से तथा विधिवत विचारण योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके उल्लेखित आधारों पर अपील स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने में त्रुटि कारित की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एलआर/691/2005/अलवर</u>** **सावित्री देवी बनाम मोहनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9— मोहन लाल व सोहन लाल की सावित्री के आवंटन पर आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशनपूर्ण होने बाबत भी आपत्ति है। प्रस्तुत आपत्ति बिंदुओं के विश्लेषण में हमारा मत है कि किसी आवेदन में हस्ताक्षर स्वरूप अंगूठा निशानी का अन्यथा साबित नहीं होने तक इसे आवेदक की ही होना माना जायेगा। अधीनस्थ अपील में अपीलार्थीगण ने यह नहीं बताया है कि उक्त अंगूठा निशानी सावित्री देवी की न होकर फर्जकारीपूर्वक किसके द्वारा की गई थी। सावित्री के आवेदन पर पटवारी द्वारा यह स्पष्ट रिपोर्ट की गई थी कि आवेदक के पति ने उसे छोड़ दिया है इसलिए वह अपने पिता हरिराम के पास रहती है तथा उसके गुजारे का कोई साधन न होकर हालत दयनीय है। उक्त रिपोर्ट पश्चात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदिका का आवेदन सावित्री पुत्री हरिराम के नाम से ही स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन किया गया था। दोनों उजरकर्त्ताओं ने आपत्ति में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सावित्री धारित भूमि की गणना अनुसार किस प्रकार भूमिहीन श्रेणी में कवर नहीं होती थी। सावित्री की विधवा न होने बाबत आपत्ति अपीलांट्स द्वारा नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित न कर प्रथम अपील में उठाई गई है, जिस पर रिकॉर्ड तथा प्रथम अपील के निर्णय के विश्लेषण अनुसार हमारा मत है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपर्याप्त साक्ष्य आधारों पर आवेदन को फ्रॉड की श्रेणी का होना साबित मान लिया जाकर निर्णय में त्रुटि की गई है। **10—** उपरोक्तानुसार समस्त विवेचन अनुसार हमारा सुविचारित मत है कि विद्वान न्यायाधीश भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने निर्णय करने में क्षेत्राधिकार का सही निर्वहन न कर ठोस एवं पुष्ट आधारों के बिना सावित्री देवी के भूमि आवंटन को नियम विरूद्ध होना तथा आवंटन धोखाधड़ीपूर्वक करवाया जाना घोषित करने में तथ्यपरक एवं विधिक आधार पर गलती की गई है। अतः हस्तगत अपील द्वारा अपीलार्थी सावित्री देवी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04—01—2005 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	